(Authoritative English text of this Department Notification No. STE-F(2)-1/2017-loose dated 03-01-2025 as required under clause 3 of article 348 of the Constitution of India.

Government of Himachal Pradesh
Department of Environment, Sci. Tech. & Climate Change

No. STE-F(2)-1/2017-loose Dated: Shimla-2 03-01-2025.

NOTIFICATION

WHEREAS, the Hon'ble High Court of H.P vide order dated 23.03.2024 passed in CWP No. 2369 of 2018 titled as Suleman vs. Union of India & Ors had observed as follows:-

"Para 25 ....We are informed at the Bar that as regards the Ministry of Environment, Forest and Climate Change of the Government of India, it has already banned the banners appearing flexi vide its order dated 09.03.2020. In addition thereto, some of the cities like Chennai, Bengaluru and Pune have taken measures to ban or restrict the use of plastic flexi banners due to concerns about environmental impact, visual pollution and safety hazards. The States like Kerala, Karnataka, Nagaland and Maharashtra have introduced bans and state wise regulations regarding plastic flexi banners. Whereas, in the State of Himachal Pradesh, such banners upto 100 are still being permitted."

NOW THEREFORE, in compliance of the orders of the Hon'ble High Court, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by section 5 of the Environment Protection Act, 1986 read with Govt. of India, Ministry of Environment, Forests (Department of Environment, Forests & Wildlife) Notification No. S.O. 152(E) dated 10-02-1988 is pleased to issue the following directions to regulate the PVC/Plastic flex banners/advertisement in the State of Himachal Pradesh:-

1. The use of plastic/flex banners for the purpose of the advertisement shall be strictly as per the prescribed rules and guidelines issued by the State Government from time to time.

2. There shall be no use of the plastic or PVC banners less than 100 micron as specified vide Notification No. STE-F(4)-1/2020 dated 20.07.2022.
3. Thickness of PVC/plastic flexi banners/advertisements may be prescribed as under:-

Sr. No.	Type of Banners	Thickness in Microns	Duration
		General	
1	Put up by IPR to Disseminate Govt. Schemes, etc.	Not less than 200	As per Requirement
2	Educative Banners put up by the Govt. Departments/ Agencies	Not less than 200	As per Requirement
3	Event Based banners by Govt. Departments and Others	Not less than 100	Maximum 7 days before the event and 3 days after the event
		Elections Related	
4	Cut out of Political Parties/Candidates	Not less than 200	Maximum after the announcement of elections and 5 days from casting of votes
5.	Election Rally	Not less than 100	Maximum 7 days before the event and 3 days after the event
		Others	
6.	Private Advertisements (Up to 30 days)	Not less than 100	As per the consent of the owner of the place
7.	Private Advertisement (More than 30 days)	Not less than 200	As per the consent of the owner of the place

4. The PVC flex banners/hoarding may be displayed in public places with the approval of the Local Body only i.e. ULB or PRI.

5. The Local Authority shall be responsible to remove all unauthorized flex banners displayed in public places within their respective jurisdiction.
6. No flex banners shall be nailed to trees.
7. Removing the flex banners after the prescribed period shall be the responsibility of the concerned Department/Organizations or land owner, as the case may be. The used PVC flex banners shall be sent to the nearest ULBs which have facility for bailing and shredding for recycling or RDF. The concerned Department/ Organizations or land owner shall obtain a receipt to this effect from the concerned ULBs. The Director Urban Development shall prepare list of such ULBs and display the list in departmental website.
8. Thickness of flex banner, name of the Department, responsible organization (Government or Private) to remove it after the prescribed period, name of the Printer, period for which it has been displayed shall be printed in the flex banner prominently to ensure compliance with these directions.

Name of the Department/Responsible organization ____________

Authorization obtained from: __________

Name of the Printer: ___________

Location of Display _____________

Thickness of the Flex banner/hoarding: __________ (Micron)

Responsible Organization responsible to remove: ____________

Duration: From _________ To__________

9. The permanent locations of the Information & Public Relation shall be used by the Department itself and not allotted by the Local Body to any other organization.
10. All PVC/plastic flex banners and hoardings shall be fixed properly and securely to ensure that they don't pose any hazard to the passersby.
11. Random checking of displayed flexi banners may be carried out by the State Pollution Control Board and Local Bodies and violations, if any shall be penalized as per the fine prescribed by the Department of Env.Sci.Tech. & Climate Change.
12. If the banners are not removed in the prescribed time, the concerned Local Body or land owner shall be responsible to remove them and charge cost of the same from the concerned department or agency.
13. Concerned Local body and HP State Pollution Control Board shall display a helpline number to deal with the complaints pertaining to illegal display of PVC/plastic flex banners/hoardings.

14. In all indoor meetings/workshops, digital display shall be promoted to avoid use of the PVC/flex banners.
15. The possibility of digital display for advertisements, messages, etc.for outdoors may also be explored by MC Shimla on pilot basis. If found suitable and cost effective it may be upscaled.

The above directions/regulations shall come into force from the date of publication of the notification in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh.

By Order,

Prabodh Saxena
Chief Secretary to the
Government of Himachal Pradesh

Endst. No. STE-F(2)-1/2017-loose Dated: Shimla-2, 03-01-2025.

Copy forwarded to the followings for information and necessary action to:

1. The Secretary to the Governor, Himachal Pradesh, Shimla-2.
2. The Secretary to the Chief Minister, Himachal Pradesh, Shimla-2.
3. The Private Secretaries to the Chief Secretary to the Govt. of Himachal Pradesh.
4. All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
5. All the Divisional Commissioners of Himachal Pradesh.
6. All Heads of Department of Himachal Pradesh.
7. All the Deputy Commissioners of Himachal Pradesh.
8. The Director (Environment, Science & Technology), Paryavarn Bhawan, Near U.S. Club Shimla-1.
9. The Member Secretary, H.P. State Pollution Control Board, Phase-III, New Shimla-9.
10. DLR-cum-Deputy Secretary(Law) to the Govt. of H.P, Shimla-171002.
11. The Commissioners/Executive Officer, Municipal Corporations/Municipal Councils in Himachal Pradesh.
12. Guard file.

03-01-2025

(Sat Pal Dhiman)
Addl. Secretary (Env. Sci.Tech.&CC) to the
Government of Himachal Pradesh
Phone No. 0177-2621874

हिमाचल प्रदेश सरकार
पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकि एवं जलवायु परिवतर्न विभाग

संख्याः एस. टी. ई–एफ (2)–1/2017–लूज तारीख शिमला–2 03–01–2025

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 2369/2018–सुलेमान बनाम भारत संघ एवं अन्य में तारीख 23–03–2024 को पारित आदेश के अधीन निम्नासुनार विनिश्चय (वर्णित) किया थाः

> पैरा 25....... हमें बार द्वारा सूचित किया गया है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तारीख 09–03–2020 के अपने आदेश के अनुसार फलेक्सी दिखने वाले बैनरों पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अतिरिक्त, चेन्नई, बेंगलूरू और पुणे जैसे कुछ शहरों ने पर्यावरणीय प्रभाव, दृश्य प्रदूषण और सुरक्षा खतरों के बारे में चिंताओं के कारण प्लास्टिक फ्लेक्सी बैनरो के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने या प्रतिबंध करने के उपाय किए हैं। केरल, कर्नाटक, नागालैंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने प्लास्टिक फलेक्सी बैनरो के संबंध मे प्रतिबंध और राज्यवार विनियम लागू किए है। जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य में अभी भी 100 तक ऐसे बैनरों की अनुमबित दी जा रही है।

अब माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और वन्य जीव मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस. ओ.: 152 (ई) तारीख 10–02–2024 के साथ पठित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य में पी.वी.सी./प्लास्टिक फ्लेक्स बैनर/विज्ञापन को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैः–

1. विज्ञापन के प्रयोजन के लिए प्लास्टिक/फ्लेक्स बैनरों के उपयोग पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्धारित नियमों एवं दिशा–निर्देशों के अनुसार सख्ती से प्रतिबंध रहेगा।
2. अधिसूचना संख्या एस.टी.ई–एफ (4)1/2020 तारीख 20–07–2022 के अनुसार 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक या पी.वी.सी. बैनर का उपयोग नहीं किया जाएगा।
3. पी.वी.सी./प्लास्टिक फ्लेक्सी बैनर/विज्ञापनों की मोटाई (सघनता) निम्नानुसार निर्धारित की जा सकेगीः–

क्रम संख्या	बैनर का प्रकार	सघनता माइक्रोन में	अवधि
1.	सरकारी योजनाओं आदि के प्रचार–प्रसार के लिए आई.पी.आर. द्वारा लगाए गए	200 से कम नहीं	आवश्यकता के अनुसार
2.	सरकारी विभागों द्वारा लगाए गए	200 से कम नहीं	आवश्यकता के अनुसार

	शिक्षाप्रद बैनर		
3.	सरकारी विभागों और अन्य द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्थापित बैनर	100 से कम नहीं	आयोजन से अधिकतम 7 दिन पूर्व और आयोजन के 3 दिन पश्चात्
	चुनाव संबंधी		
4.	राजनीतिक दलों/प्रत्याशियों की कट आउट	200 से कम नहीं	चुनाव की घोषणा के पश्चात और अधिकतम 5 दिन वोट डालने से 5 दिन पूर्व
5.	चुनावी रैली	100 से कम नहीं	आयोजन से अधिकतम 7 दिन पूर्व और आयोजन के 3 दिन पश्चात्
	अन्य		
6.	निजी विज्ञापन (30 दिन तक)	100 से कम नहीं	स्थान के स्वामी की सहमति के अनुसार
7.	निजी विज्ञापन (30 दिन से अधिक)	200 से कम नहीं	स्थान के स्वामी की सहमति के अनुसार

4. पी.वी.सी. फ्लेक्स बैनर/होर्डिंग को सार्वजनिक स्थानों पर केवल स्थानीय निकाय अर्थात् यू.एल.बी. या पी.आर.आई. की मंजूरी से प्रदर्शित किया जा सकेगा।

5. स्थानीय प्राधिकरण अपने–अपने क्षेत्राधिकार में सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित सभी अनधिकृत फ्लेक्स बैनरों को हटाने के लिए उत्तरदयी होगा।

6. किसी भी फ्लेक्स बैनर को पेडों पर कील से नहीं लगया जाएगा।

7. निर्धारित अवधि के पश्चात् फ्लेक्स बैनर हटाना संबंधित विभाग/संगठन या भूमि स्वामी का उत्तरदायित्व होगा। प्रयुक्त पी.वी.सी. फलेक्स बैनरों को निकटतम शहरी स्थानीय निकायों को भेजा जाएगा, जहां पुनः चर्क्रण या आर.डी.एफ. के लिए अमानत रखने और कटाई की सुविधा उपलब्ध हो। संबंधित विभाग/संगठन या भूमि स्वामी को संबंधित शहरी स्थानीय निकायों से इस आशय की रसीद प्राप्त करनी होगी। निदेशक शहरी विकास ऐसे शहरी स्थानीय निकाय की सूची तैयार करेंगे और विभागीय वेबसाईट पर सूची प्रदर्शित करेंगे।

8. इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए फ्लेक्स बैनर की सघनता, विभाग का नाम, निर्धारित अवधि के पश्चात् इसे हटाने के लिए उत्तरदायी संगठन (सरकारी अथवा निजी), प्रिंटर का नाम व अवधि जिसके लिए इसे प्रदर्शित किया गया है, फ्लैक्स बेनर पर प्रमुखता से मुद्रित किया जाएगा।

विभाग / उत्तरदायी संगठन का नामः..

अनुमोदन प्राप्त किया गयाः...

प्रिंटर का नामः...

प्रदर्शन का स्थानः..

फ्लेक्स बैनर / होर्डिगं की सघनता...(माइक्रोन)

हटाने के लिए उत्तरयादी संगठनः...

अवधिः से...तक...

9. आई.पी.आर. के स्थायी स्थान का उपयोग विभाग द्वारा किसी अन्य संगठन को आबंटित नहीं किया जाएगा।

10. सभी पी.वी.सी. / प्लास्टिक फ्लेक्स बैनर और होर्डिंग्स को उचित रीति से और सुरक्षित रूप से लगाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे राहगीरों के लिए कोई खतरा पैदा न करें।

11. पी.वी.सी. और स्थानीय निकायों द्वारा प्रदर्शित फ्लेक्सी बैनरों की आकस्मिक जांच की जा सकेगी और यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है तो पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा निर्धारित जुर्माने के अनुसार दंडित किया जाएगा।

12. यदि बैनर निर्धारित समय में नहीं हटाया गया तो संबंधित स्थानीय निकाय यह भूमि स्वामी उन्हें हटानी के लिए उत्तरदायी होगा और संबंधित विभाग या एजेंसी से इसकी लागत वसूल करेगा।

13. संबंधित स्थानीय निकाय और हिमाचल प्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड पी.वी.सी. / प्लास्टिक फ्लेक्स बैनर / होर्डिंग्स को अवैध प्रदर्शन से संबंधित शिकायतों से निपटाने के लिए एक हेल्पलाईन नंबर प्रदर्शित करेगे।

14. सभी आंतरिक बैठकों / कार्यशालाओं में पी.वी.सी. / फ्लेक्स बैनरों के उपयोग से बचने के लिए डिजिटल डिस्प्ले को बढ़ावा दिया जाएगा।

15. नगर निगम शिमला द्वारा पायलट आधार पर आउटडोर (बाहय) के लिए विज्ञापनों, संदेशो आदि के लिए डिजिटल डिस्प्ले की संभवना भी तलाशी जा सकती है। यदि यह उपयुक्त और लागत प्रभावी पाया जाता है तो इसे बढाया जा सकेगा।

उपरोक्त निर्देश/विनियम इस अधिसूचना के राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,

प्रबोध सक्सेना
मुख्य सचिव
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि। तारीखः शिमला–2 03–01–2025.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित हैः–

1. सचिव, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, शिमला–2
2. निजि सचिव, मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2
3. निजि सचिव, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2
4. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2
5. समस्त मण्डलायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
8. निदेशक, पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, हि0 प्र0 यू0एस0कल्ब, शिमला–1
9. सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हि0प्र0 न्यू शिमला–9
10. सहायक विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
11. समस्त आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम/नगर परिषद हिमाचल प्रदेश ।
12. संरक्षण नस्ति।

03-01-2025

(सतपाल धीमान)
अतिरिक्त सचिव (पर्यावरण,वि0 प्रौ0 एवं ज0प0)
हिमाचल प्रदेश सरकार
दूरभाष संख्याः 0177–2621874